बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

32, हार्डिंग रोड, पटना–800001

फोन- 0612-2231563, फैक्स नं० : 2231562, वेबसाईट : http://bsea.bihar.gov.in, ई-मेल : bseapatna@gmail.com

पत्रांक : नि० प्रा०/नि० 1–23/2023 1242 /पटना, दिनांक 04/07/2023

प्रेषक,

पुरूषोत्तम पासवान,
सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी –सह– जिला निर्वाचन पदाधिकारी,
तख्त श्री हरिमंदिर जी, पटना साहेब, पटना।
अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सिटी –सह– निर्वाचन पदाधिकारी,
तख्त श्री हरिमंदिर जी, पटना साहेब।

विषय : **तख्त श्री हरिमंदिर जी, पटना साहेब के प्रबंधक कमिटी के निर्वाचन, 2023 हेतु मतदाता सूची की तैयारी के संबंध में।**

महाशय,

CWJC संख्या–18827/2008 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आदेश दिनांक 07.12.2010, मिसलेनियस केस नं0–150/2017 में माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पटना के आदेश दिनांक 01.09.2017 एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या–2025 दिनांक 25.05.2010 के आलोक में तख्त श्री हरिमंदिर जी, पटना साहेब की प्रबंधक कमिटी का निर्वाचन बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना द्वारा कराया जाना है।

2. प्राधिकार की अधिसूचना संख्या–6294 दिनांक 08.04.2011 द्वारा तख्त श्री हरिमंदिर जी, पटना साहेब की प्रबंधक कमिटी के निर्वाचन संचालन हेतु जिला पदाधिकारी, पटना को जिला निर्वाचन पदाधिकारी एवं अधिसूचना संख्या– 9076 दिनांक 30.09.2011 द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सिटी को निर्वाचन पदाधिकारी नियुक्त किया गया है।

3. **तख्त श्री हरिमंदिर जी, पटना साहेब** की मतदाता सूची के प्रकाशन हेतु प्राधिकार द्वारा निम्नांकित कार्यक्रम नियत किया जाता है :–

क्र०	कार्यक्रम	तिथि
i	बिहार एवं झारखण्ड के स्थानीय समाचार पत्रों में प्रारूप मतदाता सूची के संबंध में विज्ञापन का प्रकाशन।	10.07.2023
ii	प्रबंधक कमिटी एवं अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सिटी द्वारा प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन अपने कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रकाशित किया जाना ।	12.07.2023
iii	आम नोटिस का प्रकाशन जिसमें मतदाता सूची के संबंध में दावे/ आपत्तियाँ प्राप्त करने की तिथि और प्राप्त दावे/ आपत्तियों के निष्पादन की तिथि अंकित हो	12.07.2023
iv	दावे/ आपत्तियाँ निष्पादन की अवधि	12.07.2023 से 22.07.2023 तक
v	दावे/ आपत्तियों के निष्पादन के बाद मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन	26.07.2023

4. प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन निम्नांकित स्थलों पर किया जायेगा :–
   (क) प्रबंधक कमिटी तख्त श्री हरिमंदिर जी, पटना साहेब के कार्यालय के सूचना पट पर।
   (ख) अनुमंडल पदाधिकारी –सह– निर्वाचन पदाधिकारी, पटना सिटी के कार्यालय के सूचना पट पर।

प्रबंधक कमिटी द्वारा तैयार की गयी, जो प्रारूप मतदाता सूची प्राधिकार को उपलब्ध करायी गयी है, उसी सूची का प्रकाशन किया जायेगा। इस सूची में किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं की जायेगी।

प्रारूप मतदाता सूची प्राधिकार के वेबसाईट– bsea.bihar.gov.in पर भी रहेगी, जहाँ से इच्छुक सदस्य प्रारूप मतदाता सूची का अवलोकन एवं डाउनलोड कर सकते है।

5. **दावे/ आपत्तियों के निष्पादन एवं विधि व्यवस्था के संधारण हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सिटी उचित संख्या में दण्डाधिकारी की नियुक्ति करेंगे।**

6. निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्रारूप प्रकाशन कर दिये जाने की सूचना प्राधिकार के वेबसाइट http://bsea.bihar.gov.in/ पर अपने यूजरनेम के माध्यम से लॉगिन कर ऑनलाईन प्रविष्टि (केवल हाँ अथवा नहीं में) **दिनांक 12.07.2023** को निम्नरूप से किया जायेगा :–

Step -1 - **लॉगिन करने हेतु निर्देश**

निर्वाचन पदाधिकारी अपने कम्प्यूटर के किसी इंटरनेट ब्राउजर पर प्राधिकार का वेबसाइट http://bsea.bihar.gov.in/ टाइप कर खोलेंगे। वेबपेज के दांये ऊपर लॉगिन पर क्लिक करें। प्राधिकार द्वारा पूर्व में उपलब्ध कराये गये अपने यूजरनेम तथा पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन करें।

Step -2 - **प्रारूप मतदाता सूची संबंधी सूचनाओं को प्रविष्टि करने हेतु निर्देश**

लॉगिन करने के उपरांत होमपेज में ऊपर **"समितियों के मतदाता सूची का प्रकाशन कार्यक्रम"** पर क्लिक करें। तत्पश्चात् वेबपेज पर इस पत्र के माध्यम से मतदाता सूची के प्रकाशन हेतु निर्गत संख्या के सामने "View" पर क्लिक करें। क्लिक करने के उपरांत समिति के नाम के सामने उल्लिखित **"प्रारूप प्रकाशन हुआ अथवा नहीं"** में हाँ अथवा नहीं का चयन कर सबमिट करेंगे।

निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा ऑनलाईन प्रविष्टि किये जाने के पश्चात् प्रारूप प्रकाशन हुआ अथवा नहीं की स्थिति को ऑनलाईन ही जिला निर्वाचन पदाधिकारी एवं संबंधित पदाधिकारी अपने–अपने यूजरनेम के माध्यम से प्राधिकार के वेबसाइट पर लॉगिन कर डैशबोर्ड पर **"मतदाता सूची के प्रकाशन से संबंधित कार्यक्रम की सूचनाएं"** पर क्लिक कर देख सकेंगे। निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा समिति की मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन कर दिये जाने की सूचना प्राधिकार के ई–मेल bseapatna@gmail.com पर **दिनांक 13.07.2023** तक भेज दिया जायेगा।

अतएव निर्वाचन पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि प्रारूप प्रकाशन की स्थिति/ सूचना को ससमय प्राधिकार के वेबसाइट पर प्रविष्टि करायें, ताकि निर्वाचन से संबंधित विभिन्न प्रक्रमों का अनुश्रवण (Monitoring) किया जा सके।

7. प्रारूप मतदाता सूची में अंकित मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से हटाने के संबंध में कोई आपत्ति अथवा प्रारूप मतदाता सूची में किसी सदस्य का नाम जोड़ने से संबंधित दावा एवं किसी प्रविष्टि में संशोधन के लिए आवेदन फार्म प्रबंधक कमिटी कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। तदनुसार विहित प्रपत्र में निर्धारित अवधि में दावा/ आपति प्रबंधक कमिटी के समक्ष दायर किया जा सकता है। पूर्व से प्राप्त दावे/ आपतियों का निष्पादन भी इसी दौरान किया जायेगा। दावे/ आपत्तियों का निष्पादन तख्त श्री हरिमंदिर जी के संविधान एवं उपविधि के आर्टिकल नं0–10 के आलोक में किया जायेगा। दावे/ आपतियों के निष्पादन के संबंध में प्रबंधक कमिटी का निर्णय अंतिम होगा।

8. प्रारूप मतदाता सूची में जो भी परिवर्तन किए जायेंगे, उन्हें **संलग्न प्रपत्र** में दिए गए नमूने के अनुसार एक अनुपूरक सूची के रूप में तैयार किया जाएगा, जिसमें स्पष्ट उल्लेख रहेगा कि प्रारूप मतदाता सूची से कौन सी प्रविष्टि हटायी गयी है, कौन सी प्रविष्टि में आवश्यक संशोधन किया गया है, तथा कौन–सी नई प्रविष्टि जोड़ी गई है। **प्रारूप मतदाता सूची एवं अनुपूरक मतदाता सूची के सम्मिलित रूप को अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची माना जाएगा।**

9. **अनुपूरक मतदाता सूची महासचिव के हस्ताक्षर के साथ अनुमंडल पदाधिकारी –सह–निर्वाचन पदाधिकारी, पटना सिटी को दिनांक 25.07.2023 को उपलब्ध करायी जायेगी।** प्रारूप मतदाता सूची एवं अनुपूरक मतदाता सूची को सम्मिलित कर निर्वाचन पदाधिकारी अपने कार्यालय के सूचना पट्ट पर दिनांक 26.07.2023 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन करेंगे। उसी प्रकार तख्त श्री हरिमंदिर जी, पटना साहेब के कार्यालय के सूचना पट्ट पर भी निर्धारित तिथि को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जायेगा। निर्वाचन पदाधिकारी अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची प्राधिकार को दिनांक 26.07.2023 को ही प्राधिकार को ई–मेल के माध्यम से उपलब्ध करा देंगे। अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची प्राधिकार के वेबसाईट पर भी दिनांक 27.07.2023 से उपलब्ध रहेगी, जिसका अवलोकन/ डाउनलोड किया जा सकता है।

अंतिम मतदाता सूची के प्रत्येक पृष्ठ के अंत में उसे तैयार करने वाले कर्मी तथा निर्वाचन पदाधिकारी/ प्राधिकृत उप निर्वाचन पदाधिकारी, दोनों द्वारा अंतिम प्रकाशन के दिन हस्ताक्षर किया जाएगा, जो इस बात के प्रमाणस्वरूप होगा कि मतदाता सूची सही है एवं इसमें कोई छेड़–छाड़ नहीं की गई है। सचेत किया जाता है कि प्रारूप मतदाता सूची अथवा पूरक मतदाता सूची की किसी प्रविष्टि में ओवरराइटिंग नहीं हो; किसी भी तरह के सुधार को स्पष्ट अक्षरों में उसके बगल में अंकित

कर दिया जाय तथा उसके शीर्ष में सुधार करने वाले पदाधिकारी द्वारा अपना आद्याक्षर (initial) अवश्य कर दिया जाय। अगर निर्वाचन संचालन के दौरान प्राधिकार को मतदाता सूची में संबंधित कर्मियों के स्तर पर कोई गड़बड़ी करने की संपुष्ट शिकायत प्राप्त होगी, तो प्राधिकार इसे काफी गंभीरता से लेगा।

10. निर्वाचन कार्यक्रम को अंतिम रूप देने से पूर्व प्राधिकार के लिए अंतिम रूप से प्रकाशित की जाने वाली मतदाता सूची का संक्षिप्त विवरण जानना आवश्यक है। अतएव निर्वाचन पदाधिकारी मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद पुनः प्राधिकार के वेबसाइट http://bsea.bihar.gov.in/ पर अपने यूजरनेम के माध्यम से लॉगिन कर मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन कर दिये जाने की सूचना **दिनांक 26.07.2023** को निम्नरूप से ऑनलाईन प्रविष्टि (केवल हाँ अथवा नहीं में) करेंगे :—

Step -1. **मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के पश्चात् संबंधित सूचनाओं को प्रविष्टि करने हेतु निर्देश**

निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्राधिकार के वेबसाइट पर लॉगिन करने के उपरांत होमपेज में ऊपर **"समितियों के मतदाता सूची का प्रकाशन कार्यक्रम"** पर क्लिक करेंगे। तत्पश्चात् वेबपेज पर इस पत्र के माध्यम से मतदाता सूची के प्रकाशन हेतु निर्गत संख्या के सामने "View" पर क्लिक करें। क्लिक करने के उपरांत समिति के नाम के सामने उल्लिखित **"अंतिम प्रकाशन हुआ अथवा नहीं"** में हाँ अथवा नहीं का चयन कर एवं मतदाताओं की संख्या तथा अनुमंडल मुख्यालय से समिति कार्यालय की अनुमानित दूरी टाईप कर सबमिट करेंगे।

11. जिला निर्वाचन पदाधिकारी निर्वाचन पदाधिकारी को अपने स्तर से भी प्राधिकार के उपर्युक्त निदेशों से अवगत करा देंगे। निर्वाचन पदाधिकारी अपने स्तर से प्रबंधक कमिटी को उपर्युक्त निदेश की जानकारी निश्चित रूप से उपलब्ध करा देंगे।

विश्वासभाजन,

(हस्ताक्षर) 04/07/23

(पुरूषोत्तम पासवान)

सचिव।

ज्ञापांक : 1242 /पटना, दिनांक 04/07/2023

प्रतिलिपिः अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/ प्रमंडलीय आयुक्त, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव।

ज्ञापांक : 1242 /पटना, दिनांक 04/07/2023

प्रतिलिपिः अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/ पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव।

ज्ञापांक : 1242 /पटना, दिनांक 04/07/2023

प्रतिलिपिः जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव।

ज्ञापांक : 1242 /पटना, दिनांक 04/07/2023

प्रतिलिपिः मुख्य चुनाव पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना के कोषांग/ सचिव/ सभी प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव।

ज्ञापांक : 1242 /पटना, दिनांक 04/07/2023

प्रतिलिपिः श्री राहुल कुमार, साफ्टवेयर डेवलपर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उन्हें निदेश दिया जाता है कि अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सिटी को यूजर नेम एवं पासवर्ड दिनांक 04.07.2023 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

सचिव।

अंतिम प्रकाशन के लिए अनुपूरक मतदाता सूची का नमूना प्रपत्र

जिला :..............................

समिति का नाम :...................................

1. प्रविष्टि जो हटाई गई

मतदाता की कम संख्या	मतदाता का नाम

2. वर्तमान प्रविष्टि की शुद्धि

मतदाता की कम संख्या	वर्तमान प्रविष्टि			शुद्ध की गई प्रविष्टि		
	मतदाता का नाम	पिता का नाम	पता	मतदाता का नाम	पिता का नाम	पता

3. प्रविष्टि जो जोड़ी गई

सदस्य का नाम	पिता का नाम	पता	मतदाता सूची में दिया गया कमांक